न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास श्री दीपक नन्दी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 110/2021/अपील/आर्म्स एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 6.9..2021
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

रामकिशन पुत्र रामरतन जाति खारवाल निवासी ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, कोटा ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक–अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 7.3.2022

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/21/234 दिनांक 1.2.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन आदेश) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी ने धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 694 एक 12 बोर बन्दूक एक नाली नम्बर 25386 वैधता अवधि 31.12.2019 को नवीनीकरण हेतु जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा के यहां प्रस्तुत किये जाने पर नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी/आवेदक के विरूद्ध मुक0 स0 85/03 एंव मु0 नं0 243/99 धारा 13 आरपीजीओ एक्ट मे न्यायालय द्वारा 100/–,100/– जुर्माना तथा मु0 सं0 84/20 धारा 13 आरपीजीओ का थाना बोरखेडा मे दर्ज होकर पेन्डिग चालान होने से अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही की जाने के कारण जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा द्वारा अपीलार्थी द्वारा धारित उक्त शस्त्र अनुज्ञापत्र आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/21/234 दिनांक 1.2.2021 से निलम्बित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की गई कि जेरअपील आदेश अधिनियम एंव नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। पूर्व मे शस्त्र अनुज्ञापत्र अनवरत रूप से नवीनीकरण होता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रकरण सं0 85/03 व 243/99 धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण 18 वर्ष पुराने है जिसका निस्तारण भी हो चुका है तथा जिनके निस्तारण उपरांत अपीलार्थी का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। प्रकरण सं0 84/20 धारा 13 आरपीजीओ का चालान पेश नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे जेरअपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु अपनी विधिक राय अंकित करना अपेक्षित था किन्तु अपीलीय राय के स्थान पर हथियार का लाईसेन्स नवीनीकरण नही करने की अनुशंसा की गई जो सर्वथा विधि विरूद्ध है। जिला मजि0 कोटा उक्त अनुशंसा से बाध्य नही है लाईसेन्स के नवीनीकरण के संबध मे गुंणावगुण के आधार पर विचार कर आदेश पारित किया जाना चाहिये था किन्तु जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा द्वारा मात्र पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की मनमानी एंव विधि विरूद्ध टिप्पणी के आधार पर लाईसेन्स को निलम्बित करने मे विधिक एंव तथ्यात्मक त्रुटि की है। अपीलांट एक सभ्य एंव शांतिप्रिय नागरिक है जो पेशे से काश्तकार है तथा कृषि उपज को विक्रय हेतु मण्डी आदि लेकर आना पडता है इस कारण अपीलांट को शस्त्र की सद्भाविक एंव युक्तियुक्त आवश्यकता है। अपीलाधीन आदेश की अपीलांट कोई जानकारी नही दी गई। सर्वप्रथम जनकारी 5.4.21 होने पर अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/21/234 दिनांक 1.2.2021 अपास्त किया जाकर शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल रख नवीनीकरण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आदेश अधिनियम एंव नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र पूर्व मे अनवरत रूप से दिनाक 31.12.2019 तक नवीनीकृत किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की मनमानी व विधि विरूद्ध रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित करने मे त्रुटि की है इस तथ्य पर गौर नही किया कि रिपोर्ट मे उल्लेखित प्रकरण सं0 85/03 व 243/99 धारा 13 आरपीजीओ के प्रकरण 18 वर्ष पुराने है जिसका निस्तारण भी माननीय न्यायालय से हो चुका है। निस्तारण उपरांत अपीलार्थी का लाईसेन्स दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। प्रकरण सं0 84/20 धारा 13 आरपीजीओ का चालान पेश नही हुआ है। उक्त प्रकरण गम्भीर आपराधिक प्रवृति के नही है तथा लोकशांति व लोकसुरक्षा को बाधित नही करते है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आदेश मे ऐसे कोई कारण इंगित नही किये है जिससे शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलम्बित किया जाना आवश्यक हो। ऐसी स्थिति मे जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा का जेरअपील आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर अनुज्ञापत्र बहाल किया जावे तथा आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट को धारा 13 आरपीजीओ के केस मे न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाकर 100/– 100/– के अर्थदण्ड से दणित किया है तथा 13 आरपीजीओ का एक केस दर्ज होकर पेन्डिग चालान है ऐसी स्थिति मे अपीलांट का आपराधिक प्रवृति का होना प्रकट होता है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर पुलिस अधीक्षक कोटा शहर द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत करने की अनुशंसा नही किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील आदेश से शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अतः अपील का गुणावगुण के आधार पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.2.2021 के विरूद्ध अपील निर्धारित अवधि पश्चात् दि0 28.6.2021 को न्यायालय हाजा मे पेश की है जो मियाद बाहर है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ मियाद अधि0 की धारा 5 का पेश कर अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 5.4.2021 को होना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन कर अपील को अवधि मध्य मानते हुये गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से कन्डोन की जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये निम्नानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाता है।

6 पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंते है कि अपीलार्थी ने धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 694 एक 12 बोर बन्दूक एक नाली संख्या 25386 वैधता अवधि 31.12.2019 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर नवीनीकरण के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक कोटा शहर से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 2238 दिनांक 13.10.2020 अनुसार आवेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के 2 प्रकरणो मे न्यायालय द्वारा 100/–,100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने तथा 13 आरपीजीओ का एक प्रकरण दर्ज होकर पेन्डिग चालान होने से नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने के मध्यनजर जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा द्वारा अपीलार्थी द्वारा धारित उक्त वर्णित शस्त्र अनुज्ञापत्र को जेरअपील आदेश कमांकःन्याय/आर्म्स/21/234 दिनांक 1.2.2021 से निलम्बित किया गया है। प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि पुलिस अधीक्षक

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कोटा शहर की रिपोर्ट मनमानी है रिपोर्ट मे उल्लेखित प्रकरण सं0 85/03 व 243/99 धारा 13 आरपीजीओ के 18 वर्ष पुराने है जिनका माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुका है प्रकरण सं. 84/20 भी 13 आरपीजीओ का है जो पेडिग चालान है उक्त तीनों प्रकरण गम्भीर आपराधिक धाराओ के नही है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र अनवरत् दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अतः उक्त प्रकरणों के आधार पर पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट को आधार बनाकर लाईसेन्स को निलम्बित करना न्यायोचित नही है। इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 अपील प्रकरण मे तर्क रहा है कि उक्त प्रकरणों के मध्यनजर पुलिस अधीक्षक शहर कोटा द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नही करने की अनुशंसा के फलस्वरूप अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख/दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 मे उल्लेखित प्रकरण सं0 85/03 व 243/99 धारा 13 आरपीजीओ के है जो 18 वर्ष पुराने है तथा उनका माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुका है व प्रकरण सं0 84/20 भी 13 आरपीजीओ का है जो पेडिग चालान है उक्त तीनों प्रकरण गम्भीर आपराधिक धाराओ के नही है। अपीलांट द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 694 अनवरत् दिनांक 31.12.2019 तक नवीनीकरण किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की नोटशीट के अवलोकन से पैरा 7 व 8 मे गृह (ग्रुप–9) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प.1(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.2.2010 के पैरा 7 का उल्लेख करते हुये उसके अनुरूप लाईसेन्स निलम्बित करने का आदेश दिया गया है जबकि परिपत्र के बिन्दू संख्या 7 मे, परिपत्र दिनांक 16.12.2006 के बिन्दू सं0 8.1 के प्रावधान के स्थान पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण व निरस्तीकरण के प्रकरणों मे आयुद्ध अधिनियम के तहत निहित प्रावधान व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जाने के निर्देश है। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा द्वारा उक्त विवेचित तथ्यों एंव परिपत्र दिनांक 16.2.2010 के बिन्दू सं0 7 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पुलिस अधीक्षक कोटा शहर की रिपोर्ट को आधार बनाते हुये सरसरी तोर पर जेरअपील आदेश पारित कर शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित करने मे त्रुटि की जाना प्रकट होता है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अन्य ऐसे कोई तथ्य भी विद्यमान नही है जिससे अपीलार्थी द्वारा लोकसुरक्षा व लोकशांति भंग करना इंगित करते हो तथा लोकसुरक्षा व लोक शांति के मध्यनजर अपीलांट द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किया जाना आवश्यक हो। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा ने प्रकरण मे उक्त विवेचित तथ्यों पर गोर किये बिना विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर जेरअपील आदेश पारित किया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/आर्म्स/21/234 दिनांक 1.2.2021 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 कोटा को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उक्त विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ मे पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत आदेश/निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 7.3.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दीपक नन्दी)
संभागीय आयुक्त
कोटा